न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/2267/2006/चितौडगढ

1. चुन्नीलाल पुत्र बोतलाल धाकड मृतक जरिये वारिसान–
1/1. मु. नाराणी बाई बेवा चुन्नीलाल
1/2. जगदीश
1/3. नानूराम पुत्रगण चुन्नीलाल
1/4. कान्ता पुत्री चुन्नीलाल
2. जगननाथ पुत्र बोतलाल धाकड
3. निर्भय राम पुत्र बोतलाल धाकड
समस्त निवासीगण शोभावली तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
4. श्रीमती कमली बाई पुत्री बोतलाल धाकड पत्नी त्रिलोकचन्द निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
5. मु. नारायणी बाई पुत्री बोतलाल धाकड पत्नी हुक्मीचन्द निवासी जावद, मध्यप्रदेश
6. मु. मुन्नी बाई (अम्बा बाई) पुत्री बोतलाल धाकड पत्नी किशनलाल निवासी सेमलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ
7. मु. धापू बेवा बोतलाल धाकड निवासी शोभवली तहसील निम्बाहेडा जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा
2. रामेश्वरलाल पुत्र प्यारा मीणा
3. बगदीराम पुत्र प्यारा मीणा निवासीगण निमामा की भागल तहसील छोटी सादडी जिला चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री आर.के. जायसवाल, सदस्य

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण

श्री वी.पी. सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 22.10.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–02–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार, निम्बाहेडा ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या– 2 व 3 के पिता प्यारा मीणा अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा स्वर्गीय प्यारा मीणा ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 8,9 एवं 12 कुल किता तीन कुल रकबा 07बीघा 08बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज बोतलाल धाकड को नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 13–06–1973 को एक हजार रूपये में विक्रय कर कब्जा दे दिया। उक्त इन्तकाल धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है। अतः विपक्षीगण को बेदखल किया जाकर विवादित भूमि कब्जे राज लिये जाने का आदेश पारित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी अपीलार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दू कायम किये एवं बाद साक्ष्य सबूत निर्णय दिनांक 30–09–2002 से वाद डिक्री कर खसरा नम्बर 08, 09 एवं 12 कुल किता तीन कुल रकबा 07बीघा 08बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जाता है, जो कब्जा प्राप्त कर बिलानाम दर्ज करें। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए, जिसे

उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–02–2006 खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि मूल खातेदार प्रत्यर्थीगण संख्या–2 व 3 के पिता स्वर्गीय प्यारा मीणा ने जेठ सुदी सातम सम्वत् 2011 को विवादित भूमि का विक्रय कर कब्जा दे दिया था, तभी से अपीलार्थीगण के पूर्वज का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। उनका कथन है कि सर्वप्रथम धारा 42–बी में संशोधन दिनांक 22–09–1956 को हुआ था, इसलिए उक्त विक्रयपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने एवं दिनांक 22–09–1956 के संशोधन से पूर्व का होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधान लागू नहीं होते है। उनका कथन है कि विक्रयपत्र निष्पादन की तिथि विक्रेता द्वारा विक्रय दस्तावेज पर हस्ताक्षर/अगुठा निशानी लगाने की तिथि से मानी जावेगी। विक्रयपत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण की तिथि से विवादित आराजी का हस्तान्तरण होना नहीं माना जा सकता। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने नामान्तरण 50 को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध होना मानकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त किया जावे।

6. इसके विपरीत योग्य राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का खातेदार प्यारा मीणा अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था, जिसके द्वारा विवादित आराजी का बैचान स्वर्ण जाति के अपीलार्थीगण के पूर्वज बेातलाल का किया, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायालयों नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 तहसीलदार, निम्बाहेडा ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या– 2 व 3 के पिता प्यारा मीणा अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा स्वर्गीय प्यारा मीणा ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 8, 9 एवं 12 कुल किता 3 कुल रकबा 07बीघा 08बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वज बोतलाल धाकड को नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 13–06–1973 को एक हजार रूपये में विक्रय कर कब्जा दे

दिया। उक्त इन्तकाल धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध है। अतः विपक्षीगण को बेदखल किया जाकर विवादित भूमि कब्जे राज लिये जाने का आदेश पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या विवादित आराजी का बैचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरीत है अथवा नहीं? प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी के खातेदार मृतक प्यारा मीणा ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 8, 9 एवं 12 कुल किता 3 कुल रकबा 07बीघा 08बिस्वा भूमि का बैचान जेठ सुदी सातम सम्वत् 2011 में अपीलार्थीगण के पूर्वज बोतलाल के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित कर कब्जा प्रदान किया। उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 13-6-1973 को निष्पादित किया गया। विक्रयपत्र निष्पादन की तिथि विक्रेता द्वारा विक्रय दस्तावेज पर हस्ताक्षर / अगुंठा लगाने की तिथि से मानी जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार विक्रयपत्र का निष्पादन सम्वत् 2011 में हुआ है, तत्समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में ही नहीं आया था। हस्तगत प्रकरण में विक्रयपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने से तथा दिनांक 22-09-1956 के संशोधन से पूर्व का होने से प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों का उल्लघन होना प्रमाणित नही होता है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 13-6-1973 को आधार मानते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी मौखिक बयानों में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित आराजी का बैचान सम्वत् 2011 में हुआ। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20-02-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-09-2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(आर.के. जायसवाल)
सदस्य